राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

**कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांक : टीपीआर 9118.13.2011/1688-97 दिनांक:- 27 FEB 2018

## आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित होने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में नगर नियोजन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14,600/– प्रतिमाह एवम् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर कार्यालय उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है :–

| S. No. | Merit No. | Roll No. | Name | Father's Name | Category | DOB | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | 627318 | PRAKASH SAINI | BANSHI LAL SAINI | BC | 05/07/1990 | |

1. उक्त नियुक्ति डी.बी.सिविल रिट अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवम् अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. परीवीक्षा अवधि (2 वर्ष) की होगी एवं (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में किया जायेगा, एवम् उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता, लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में निर्धारित योग्यता सूची के अनुसार रहेगी।
7. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03. 2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

E:\2018_ADM\Appt\Orders.doc


कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004

EPBX No. 2560838, 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in

Fax No. 0141-2563702, 2560985 Website : www.urban.rajasthan.gov.in/ctp


Scanned by CamScanner

10. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवम् राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनायें एवम् संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

12. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

13. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

27/2/18

(श्रीमती इन्दिरा)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.13.2011/1688-97 दिनांक 27 FEB 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(6)प्र.सु./अनु.3/2017 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जेडएसपी, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
7. कोषाधिकारी, भरतपुर।
8. श्री प्रकाश सैनी, चिमन जी की कोठी दक्षिण, गांव झाझड़, तहसील–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनू–333304 (राज.), मो.नं.– 9782815703
9. निजी पत्रावली संधारण लिपिक।
10. रक्षित पत्रावली।

27/02/18

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

E:\2018_ADM\Apptt\Orders.doc



Scanned by CamScanner